कार्यालय कमाण्डेंट द्वितीय बटालियन आर.ए.सी. कोटा

क्रमांक : न–(2)/2–आर.ए.सी./क्यू/2014/214 03, फरवरी, 2017

नीलामी विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि द्वितीय बटालियन आर.ए.सी. कोटा के प्रांगण में दिनांक 15.03.2017 को दोपहर 1.00 बजे निम्नलिखित अनुपयोगी मियादी/गैर मियादी राजकीय सामान की सार्वजनिक नीलामी बोली के माध्यम से विक्रय की जावेगी। इच्छुक क्रेता उपरोक्त दिनांक एवं समय पर बटालियन मुख्यालय पर उपस्थित होकर बोली लगा सकते हैं। नीलामी शर्तें किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय में उपस्थित होकर देखी जा सकती हैं। सामान जैसा भी है वैसा ही लेना होगा।

क्र.सं.	नाम वस्तु	राशि
1.	मियादी/गैर मियादी सामानों टेण्ट 180 पौण्ड, बाल्टी लोहा, चारपाई लोहा, गैंती लोहा, फवड़ा लोहा, तगारी लोहा, बेलचा लोहा, किट बाक्स लोहा, भगोना पितल, पी.वी.सी. टंकी, वाटर कुलर, टेलिविजन, ड्रेगन लाईट, सिलिंग फैन, इत्यादि।	286389.33
2.	बैण्ड सामान	113200.00
3.	विशेष बाढ बचाव दस्ता उपकरण	37326.49
4.	लोहा निर्मित कारतूसों (7.62×39 एमएम) के खाली खोखे का स्क्रेप, स्टील कैरियर, ग्रनेड पिन आदि।	4568.46
	कुल योग –	**441484.28**

नोट – उक्त नीलामी सूचना एवं शर्तें पुलिस विभाग की वेब साईट पर उपलब्ध है।

नीलामी शर्तें :–

1. बोली लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को धरोहर राशि रूपये 9000/– अग्रिम के रूप में बोली लगाने से पूर्व नगद/बैंक ड्राफ्ट/डी.डी. के माध्यम से इस कार्यालय में जमा कराने होंगें। बोली समाप्त होने पर धरोहर राशि अधिकतम बोलीदाता के अलावा समस्त बोलीदाताओं को वापिस लौटा दी जावेगी। धरोहर राशि निर्धारित दिनांक 15.03.2017 को सुबह 10 बजे से 1.00 बजे तक ही जमा की जावेगी
2. नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
3. अधिकतम नीलामी बोली स्वीकार करने के तीन घण्टे के अन्दर पूरी राशि जमा करानी होगी, तभी सामान उठाने दिया जायेगा एवं पूरी राशि जमा कराने के बाद उसी दिन पूरा सामान उठाकर ले जाना होगा, यदि समय पर सामान नहीं उठाया गया एवं राज्य सरकार को किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो सफल बोलीदाता से वसूल किया जावेगा।
4. सफल बोलीदाता को बिक्रीकर/वेट कर की राशि नीलामी बोली राशि पर बोली राशि के अलावा पृथक से चुकाना होगा।
5. नीलामी से उचित मूल्य प्राप्त नहीं होने पर नीलामी निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
6. सामानों की आरक्षित मूल्य नीलामी कमेटी द्वारा मौके पर निर्धारित किया जायेगा, तथा इस आरक्षित मूल्य से आगे नीलामी बोली रूपये 500/– के स्पेल में बोली लगानी होगी।
7. राज्य कर्मचारी/बटालियन का कोई भी कर्मचारी नीलामी बोली नहीं लगा सकेगा।
8. सामान उठाने व ले जाने का समस्त व्यय सफल बोलीदाता या उसके प्रतिनिधी को वहन करना होगा।
9. अनुपयोगी सामानों का अवलोकन निलामी से कुछ समय पूर्व नीलामी तिथि को ही किया जा सकेगा।

3/2/17.

(आदर्श सिधु)
कमाण्डेंट
द्वितीय बटालियन आरएसी
कोटा

लगातार....2....